रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-20112023-250157 SG-DL-E-20112023-250157

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343] दिल No. 343] DELHI, Mo

दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 20, 2023/कार्तिक 29, 1945

DELHI, MONDAY, NOVEMBER 20, 2023/KARTIKA 29, 1945

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 294

[N. C. T. D. No. 294

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग अधिस्चना

दिल्ली, 20 नवम्बर, 2023

सं. फा. (12)पॉलिसी / एएस / एसटीए / 2016 / 105228.—जबिक, दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना 2023 का मसौदा, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उप—धारा 3 के तहत आवश्यतानुसार प्रकाशित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 29.05.2023 को दिल्ली राजपत्र (असाधारण) संख्या 165 में दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अविध की समाप्ति से पहले सभी व्यक्तियों और हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए।

और जबिक, उक्त अधिसूचना की प्रतियां 29 मई, 2023 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी,

और जबिक, निर्दिष्ट अविध के भीतर मसौदा योजना के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों को ध्यान में रखा गया है।

अब इसलिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 की उपधारा (3), धारा 93, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिनांक 26 नवंबर, 2020 के क्रमांक एस.ओ. 4251 (ई) द्वारा जारी मोटरवाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देश 2020 की अधिसूचना के अनुपालन तथा मोटरवाहन अधिनियम की धारा 65, 96, 2 (41) द्वारा

7248 DG/2023 (1)

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल इस योजना को प्रकाशित करते थे।

1. रक्षिप्त शीर्षक, आवेदन और प्रारंभ

- (क) इसे " दिल्ली मोटर वाहन लाइसेसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023" कहा जाएगा।
- (ख) यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा दिए गए वैध एग्रीगेटर लाइसेंस के तहत संचालित सभी प्रीमियम बसों पर लागू होगा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर संचालित होंगी।
- (ग) यह योजना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. परिभाषाएँ

- 1. इस योजना में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो:
 - (क) ''अधिनियम'' का अर्थ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केंद्रीय अधिनियम 59) है:
 - (ख) ''एग्रीगेटर'' का अर्थ है एक डिजिटल मध्यस्थ या बेड़े का मालिक या एक यात्री के लिए परिवहन के उदेश्य से ड्राइवर से जुड़ने के लिए एक बाजार स्थान, बेड़े के मालिक या ऑपरेटर या एक व्यक्ति / इकाई हो सकती है जिसका अनुबंध कैरिज परिमट धारक के साथ वाहन के समग्र रूप से उपयोग के लिए समझौता है, न कि उसके एक हिस्से के लिए।
 - (ग) ''अपीलीय प्राधिकरण'' का अर्थ है अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उक्त योजना के तहत लाइसेंस के अनुदान और नवीकरण के संबंध में अपील पर विचार करने के उदेश्य से,
 - (घ) " ऐप" का अर्थ है लाइसेंस धारक या लाइसेंस धारक की ओर से किसी तीसरे पक्ष द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफ़ेस जिसे कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण से माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है,
 - (इ) ''समक्ष प्राधिकरण'' का अर्थ है सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार उक्त योजना के प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्रदान करेगा/नवीनीकृत/निलंबित/रदद करेगा;
 - (च) "लाइसेंस धारक" का अर्थ है एक व्यक्ति या संस्था जो परिवहन विभाग, राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी इस योजना के तहत बसों के संचालन के लिए लाइसेंस रखती है;
 - (छ) "पैसेंजर मैनिफेस्ट" का अर्थ उन व्यक्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड है जो यात्रा के दौरान प्रीमियम बस में यात्रा करने की संभावना रखते हैं और जिनकी ओर से लाइसेंस धारक बस के मालिक या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के साथ इस योजना के अनुसार वाहन किराए पर लेने के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करता है;
 - (ज) ''परिमट'' का अर्थ मोटर वाहन अधिनियम— 1988 की धारा 74 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी एक वैध अनुबंध कैरिज परिमट है;
 - (झ) ''प्रीमियम बस'' का अर्थ है एक लक्जरी सार्वजनिक सेवा वाहन जिसमें निम्नलिखित विशेषताओं के साथ कम से कम 09 यात्रियों की बैठने की क्षमता हो:

एयर कंडीशनर, वाई-फाई, जीपीएस, सीसीटीवी, पैनिक बटन, 2x2 सीटें, रिक्लाइरिंग सीटें (वैकल्पिक) या समय-समय पर योजना में भाामिल कोई अन्य विनिर्देश

सीमित परिस्थितियों में उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी अन्य विनिर्देश / शर्तों को परिवहन विभाग द्वारा समय—समय पर शामिल किया जाएगा;

- (ट) ''स्टैंड फीस'' का अर्थ है यात्रियों को लेने और छोड़ने के लिए बस क्यू शेल्टर का उपयोग करने के लिए परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क;
- 2. इस योजना में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, लेकिन यहां परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में सौपा गया है।

3. एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान करने के लिए पात्रताः

- 1. लाइसेंस धारक न्यूनतम 25 प्रीमियम बसों के बेड़े का संचालन और रखरखाव करेगा, जिसे लाइसेंस प्रदान करने के दिन से 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चालू करना होगा।
- 2. यदि आवश्यकता पड़ी तो समय—समय पर सक्षमाधिकारी द्वारा न्यूनतम और अधिकतम संख्या में प्रीमियम बसों की आवश्यकता को संशोधित किया जा सकता है।
- 3. लाइसेंस किसी भी फर्म या ईकाई को, जो या तो दिवालिया या किसी राज्य परिवहन प्राध्किरण या भारत के किसी भी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा काली सूची में सूचीबद्ध हो, नहीं दिया जाएगा।
- 4. लाइसेंस धारक का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के भीतर कॉर्पोरेट या शाखा कार्यालय होगा जिसे सक्षम प्राधिकारी को सूचित करने के तहत विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
- 5. इस योजना के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय लाइसेंस धारक को निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताओं के साथ सार्वजनिम परिवहन / साझा परिवहन में वाहनों के संचालन / प्रबंधन / वाहनों के संचालन / प्रबंधन के लिए कम से कम 03 वर्षों का अनिवार्य अनुभव होगा:—
 - (अ) पिछले तीन वित्तीस वर्षो (प्रत्सेक वर्ष) के दौरान न्यूनतम 100 यात्री बसों का बेड़ा; नहीं तो
 - (ब) पिछले तीन वित्तीस वर्षो (प्रत्सेक वर्ष) के दौरान न्यूनतम 1000 यात्री कारों का बेड़ा; नहीं तो
 - (ग) यात्री कारों और बसों के मिश्रित बेड़े के मामले में, कुल न्यूनतम बेड़ा कम से कम 100 के बराबर होना चाहिए। इस उदेश्य के लिए, 10 कारों को 1 बस के बराबर माना जाएगा।
- 6. लाइसेंस धारक इस योजना के तहत लाइसेंस जारी करने के अनुरोध के साथ गैर—न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक वचन पत्र प्रस्तुत करके केंन्द्रीय मोटर वाहन नियम—1989 या दिल्ली मोटर वाहन नियम — 1993 या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के रूप में अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन करेगा।
- 7. लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करेगा कि बसों के संचालन को विनियमित करने और सड़क पर अनुशासन बनाए रखने के लिए उसके पास कॉन्टैक्ट कैरिज परिमट हो और मोटर वाहन अधिनियम—1988 के अध्याय—VIII और XIII के प्रावधानों में, जिसे दिल्ली मोटर वाहन नियम—1993 के अध्याय—VIII के साथ पढ़ा जाएगा, उन पर लागू होगा।
- 8. बसों की नियुक्ति लाइसेंस धारक की स्वतंत्रता पर होगी जो बस कोड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (एआईएस) 052 के अनुसार अपने बेड़े (मिनी / मिडी / मानक आकार) में बसों के आकार को तय करने के लिए समित होगा।

4. लाइसेंस प्रदान करने / नवीकरण की प्रकिया

- कोई भी व्यक्ति इस योजना के लिए संलग्न फॉम 1 में लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकता है, जिसमें निर्धारित शुल्क के साथ भुगतान का प्रमाण और इस योजना के खंड—5 में उल्लिखित ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा के साथ निम्निलखित दस्तावेज शामिल है:—
 - (क) वैध परिमट की एक सच्ची प्रति के साथ लगाए जाने वाले सभी वाहनों की सूची।
 - (ख) सभी वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध होने का प्रमाण।
 - (ग) लीज समझौते में एक समय में कम से कम एक वर्ष के लिए लाइसेंस धारक के पक्ष में ऐसे वाहनों के प्रभावी नियंत्रण और कब्जे के हस्तांतरण का विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए।
 - (घ) प्रत्येक बस के पंजीकरण प्रमाण पत्र और बीमा की प्रति।
 - (ड़) वाहन की फिटनेस जो दर्शाये कि बस में सीसीटीवी और अन्य अनिवार्य आवश्यकताएं ठीक से स्थापित हैं।

- (च) संचालन को नियमित करने और सड़क पर अनुशासन बनाए रखने के संबंध में गैर—न्यायिक स्टाम्प पेपर में वचन देना और मोटर वाहन अधिनियम—1988 के अध्याय—VIII और XIII के प्रावधानों के दायरे में लाने के लिए दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 के अध्याय —VIII के साथ अनुबंध कैरिज परमिट का होना आवश्यक है।
- 2. ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर, पावती ऑनलाइन जारी की जाएगी।
- 3. सक्षम प्राधिकारी स्वयं को संतुष्ट करने के बाद कि सभी आवश्यक आवश्यकताएं और दस्तावेज क्रम में पाए गए हैं, या तो आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अविध के भीतर लाइसेंस प्रदान कराएगा या किसी भी विसंगति के मामले के इस संबंध में जानकारी आवेदक को पूर्ति के लिए सूचित की जाएगी।
- 4. आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना लाइसेंस प्रदान करने / नवीकरण के लिए कोई भी आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 5. लाइसेंस पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- 6. लाइसेंस का नवीकरण स्वचालित नहीं है और लाइसेंस धारक के अधिकार के मामले के रूप में उपलब्ध नहीं है और यह योजना के संतोषजनक अनुपालन के अधीन होगा और सुरक्षा रिकॉर्ड, उपभोक्ता संतुष्टि और लाइसेंस धारक की सेवा की समग्र गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, किसी भी अन्य पैरामीटर (पैरामीटर) के साथ, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना जा सकता है, की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित होगा।
- 7. लाइसेंस धारक को लाइसेंस के नवीकरण के लिए फॉर्म 1 में खंड 5 में उल्लिखित शुल्क के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा और प्रवर्तन शाखा और दिल्ली यातायात पुलिस से चालान निकासी प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- 8. लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन इसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम 90 दिन पहले किया जाना चाहिए। तथापि, सक्षम प्राधिकारी अंतिम तिथि के बाद लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पर विचार कर सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदक के पास निर्धारित समय के भीतर आवेदन ना करने का पर्याप्त कारण हो जो कि योजना के खंड 10 (4) में विनिर्दिष्ट निर्धारित विलंबशुल्क के भुगतान के अनुसार मान्य होगा।
- 9. लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा।

शुल्क और ब्याज मुक्त स्रक्षा जमाः

1. लाइसेंस प्रदान करने के लिए नीचे उल्लिखित शुल्क और ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा के साथ आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

(अ) लाइसेंस के लिए शुल्क

क्रम संख्या	विवरण	राशि (रूपये में)
1.	लाइसेंस प्रदान करना	5,00,000
2.	लाइसेंस का नवीकरण	2,500
3.	डुप्लिकेट लाइसेंस जारी करना	2,500
4.	लाइसेंस धारक के पते में परिवर्तन सूचना हेतु	2,500

(ब) लाइसेंस के लिए ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा

कम संख्या	विवरण	राशि (रूपये में)
1.	100 बसों तक	1,00,000
2.	1000 बसें तक	2,50,000
3.	1000 से अधिक बसें	5,00,000

- 2. सिक्योरिटी डिपॉजिट की वापसी के समय कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 3. स्वच्छ परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक बसों पर कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
- 4. बस क्यू शेल्टर के उपयोग के लिए एक अतिरिक्त स्टैंड शुल्क का भुगतान दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरशन लिमिटेड द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

6. किराया और टिकटिंग

- (क) लाइसेंस धारक किसी भी मार्ग / गंतव्य के लिए उपयुक्त किराया संरचना निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा। किराया आम जनता की जानकारी के लिए मोबाइल और वेब—आधारित एप्लिकेशन पर प्रदर्शित करना होगा।
- (ख) डायनेमिक मुल्य निर्धारण की अनुमित होगी बशर्ते कि मूल किराया दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) वातानुकूलित बसों के अधिकतम किराए से कम न हो।
- (ग) केवल पहले से बुक किए गए डिजिटल टिकटिंग की अनुमित होगी और कोई भौतिक टिकट जारी नहीं किया जाएगा।
- (घ) यात्रियों से शुल्क केवल इलेक्ट्रॉनिक / डिजिटल भुगतान मोड के माध्यम से एकत्र किया जाएगा।

7. लाइसेंस धारक के दायित्व

- (क) लाइसेंस धारक इस योजना के तहत तैनात प्रत्येक वाहन के लिए और उसके संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगा, अर्थातः
- (i) लाइसेंस धारक, वाहन की प्रत्येक यात्रा के शुरू होने से पहले, अपने मोबाइल और वेब—आधारित एप्लिकेशन पर, ऐसी यात्रा का मार्ग, वाहन का विवरण, प्रीमियम बस चालक और / या अन्य कर्मचारी और उस यात्रा के लिए एक यात्री विवरण प्रकट करेगा। यात्रा में किसी भी स्टॉप से यात्रियों की आगे की बुकिंग निष्पादित की जा सकती है और यात्री मैनिफेस्ट में शामिल की जा सकती है, बशतें ऐसी बुकिंग बोर्डिंग समय से कम से कम 02 मिनट पहले निष्पादित की जाएगी। डिजिटल यात्री मैनिफेस्ट बनाए रखा जाएगा। लाइसेंस धारक किसी भी व्यक्ति को किसी भी यात्रा पर ऐसे वाहन में अनुमित नहीं देगा, जब तक कि उनका नाम यात्री मैनिफेस्ट में शामिल न हो।
- (ii) लाइसेंस धारक, यात्रियों की ओर से, संभावित मार्गो का निर्धारण कर सकता है जिस पर उसके द्वारा संचालित वाहनों के बारे में परिवहन विभाग को सूचित किया जाएगा।

बशर्ते कि स्व-निर्धारित संभावित मार्ग तब तक मान्य रहेंगे जब तक कि यातायात पुलिस द्वारा यातायात को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत एजेंसी होने के नाते स्व-निर्धारित मार्गी पर आपित्ति नहीं की जाती है या मार्ग को नियंत्रित और बनाए रखने वाले किसी अन्य स्थानीय निकाय द्वारा यदि कोई आपित्त की गयी तो स्व-निर्धारित मार्ग समाप्त हो जाएंगे।

- (iii) ऐसे मार्गो का विवरण आम जनता को जानकारी के लिए मोबाइल या वेब—आधारित एप्लिकेशन पर अधिसूचित किया जाएगा।
- (iv) सक्षम प्राधिकारी को 7 दिन पहले सूचित किए बिना किसी भी मामले में लाइसेंस धारक द्वारा किसी भी मार्ग का कोई संशोधन/ समाप्ति नहीं बदली जाएगी, जिस पर बस संचालित की जाती है। मार्ग परिवर्तन के प्रभाव के बारे में लाइसेंस धारक द्वारा मोबाइल या वेब—आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से आम जनता को भी सूचित किया जाएगा।
- (v) लइसेंस धारक द्वारा ऐसे किसी भी मार्ग को समाप्त नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अग्रिम बुकिंग ली जा चुकी हो। किसी भी आपात स्थिति के मामले में उस मार्ग की सेवा को समाप्त करने के लिए के लिए अग्रिम में प्राप्त बुकिंग राशि उसी दिन यात्री को वापस कर दी जाएगी।
- (vi) लाइसेंस धारक अपने मोबाइल और वेब—आधारित एप्लिकेशन पर एक सुविधा शामिल करेगा तािक शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिल सके। इसके अलावा, लाइसेंस धारक को बस के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड भी लगाना होगा, जिसमें लाइसेंस धारक द्वारा प्राप्त तंत्र पर

- शिकायत दर्ज करने के संबंध में जानकारी होगी। लाइसेंस धारक मासिक आधार पर सक्षम प्राधिकारी को स्पष्टीकरण के साथ शिकायत का सारांश प्रस्तुत करेगा;
- (vii) लाइसेंस धारक महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा और महिला यात्रियों द्वारा शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए अपने मोबाइल और वेब—आधारित एप्लिकेशन पर एक पैनिक बटन सहित एक त्वरित प्रतिकिष तंत्र प्रदान करेगा:
- (viii) लाइसेंस धारक किसी यात्री से किराया शुल्क स्वीकार करने के बाद किसी भी यात्रा का रद्द नहीं करेगा, सिवाय इसके कि कोई आकस्मिक घटना हो, जिसके बाद वह एक वैकल्पिक वाहन प्रदान करने या यात्रियों द्वारा भुगतान किए गए किराए को तुरंत वापस करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा;
- (ix) लाइसेंस धारक ब्रेक—डाउन के मामले के या किसी अन्य कारण से वैकल्पिक वाहन प्रदान करने में विफल रहने पर, अपरिहार्य दशा का छोड़कर, प्रत्येक प्रभावित यात्री से प्राप्त राशि को तुरंत रिफंड करेगा जोकि पूर्व—निर्धारित परिनिर्धारित परिसमापन क्षति के रूप में उसके आधे के बराबर राशि होगी और प्रत्येक यात्री के लिए और उसके संबंध में ऐसा भुगतान करने में लाइसेंस धारक की प्रत्येक विफलता उसे उसके खंड 11 के तहत जुर्माने के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाएगी;
- (x) बस के अंदर चालक की फोटो, लाइसेंस नंबर, यात्री सेवा वाहन बैज नंबर और वाहन के पंजीकरण चिन्ह के साथ—साथ परिवहन हेल्पलाइन नंबर और पुलिस हेल्पलाइन नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि यह यात्रियों को सीधे दिखाई दे।
- (xi) लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करेगा कि केवल प्रीमियम वातानुकूलित बसों को ही बेडे में शामिल किया जाएगा, जिनमें ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआइएस) 052 (बस कोड), ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) 140 (वाहन ट्रैकिंग सिस्टम, कैमरा निगरानी प्रणाली और आपातकालीन अनुरोध बटन) और मोटर वाहन उद्योग मानक 153 मानक (फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम) (एफडीएएस) शामिल हैं। एग्रीगेटर को बस कोड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (एसआईएस) 052 के अनुसार अपने बेडे (मिनी / मिडी / मानक आकार) में बसों का आकार तय करने की स्वतंत्रता होगी:
- (xii) लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक यात्रा के दौरान यात्रियों की आवाजाही को रिकॉर्ड करने के लिए प्रत्येक वाहन में कम से कम दो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए और जिसकी रिकॉर्डिंग प्रत्येक यात्रा की तारीख से कम से कम पंद्रह दिनों के लिए लाइसेंस धारक द्वारा संग्रहीत की जाएगी और किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा म्प्रग किए जाने परर इसे प्रस्तुत किया जाएगा।
- (xiii) लाइेसेंस धारक परिवहन विभाग द्वारा तैनात वर्तमान डिजिटल समाधान वन दिल्ली ऐप के साथ प्रस्तावित सेवा का एपीआई प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जो बसों/ मार्गो की खोज करने सवारी बुक करने और डिजिटल भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी।
- (xiv) लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन बीमा की एक पॉलिसी द्वारा कवर किया जाना चाहिए जो मोटर वाहन अधिनियम —1988 के अध्याय—XI में निर्धारित प्रावधानों का सुविधाजनक बनाने के लिए वाहन में यात्रा करने वालों (चालक और कंडक्टर सिहत) के लिए कम से कम 10 लाख रूपये का आकस्मिक कवरेज प्रदान करेगा;
- (xv) लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करेगा कि इस योजना के तहत तैनात प्रत्येक वाहन के पास हर समय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा—56 के तहत फिटनेस का वैद्य प्रमाण पत्र होना चाहिए. जिसे केंद्रीय मोटर वाहन नियम. 1989 के नियम 62 के साथ पढ़ा जाता है:
- (xvi) लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बस में वैध वैधता वाले वाले अग्रिशामक यंत्र स्थापित किए जाएंगे और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्राथमिक चिकित्सा किट ले जाएंगे;
- (xvii) लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करेगा कि संचालित करने के लिए योजना के तहत तैनात प्रत्येक बस के पास दिल्ली मोटर वाहन नियम—1993 के एनसीटी के नियम 35 के तहत एक वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र होगा;

- (xviii) लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों की संख्या पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित से अधिक नहीं होगी;
- (xix) लइसेंस धारक यात्री वाहन के उपयोग के संबंध में सभी लागू शर्ती का पालन करेगा जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों के मामले में है और इसके किसी भी उल्लंघन को उध्याय—VIII मोटर वाहन यातायात नियंत्रण अधिनियम—1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों और दिल्ली मोटर वाहन नियम —1993 में निर्धारित विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उचित कार्रवाई करने के उददेश्य से उल्लंघन के रूप में माना जाएगा;
- (xx) लाइसेंस धारक, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन के चालक के पास सार्वजनिक सेवा वाहन बैज के साथ बस संचालित करने के लिए आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस की श्रेणी होनी चाहिए।
- (xxi) लाइसेंस धारक जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार से नियुक्त चालक मोटर वाहन अधिनियम 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों और दिल्ली मोटर वाहन नियम—1993 में निर्दिष्ट सभी आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन करेगा। इसके अलावा, यदि वाहन चालक के विरूद्ध कोई आपराधिक कृत्य पाया जाता है, तो मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा —19 के अंतर्गत चालक के लाइसेंस निलंबित की प्रक्रिया के अतिरिक्त अपराध की गंभीरता का ध्यान में रखते हुए लाइसेंस धारक के विरूद्ध धारा 53, 54 और 55 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- (xxii) लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करेगा कि सीएनजी बसों का अधिग्रहण योजना की अधिसूचना की तारीख से तीन साल से अधिक पुराना नहीं होगा। इसके बाद किसी भी नई बस को शामिल करने के लिए, प्रचलित उत्सर्जन मानदंडों, बीएस—6 को वातानुकूलित सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसों के अनुरूप होना चाहिए। 1 जनवरी, 2025 के बाद केवल इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की अनुमति दी जाएगी, किसी भी सीएनजी संचालित बस को इस योजना के तहत शामिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही बीएस—6 अनुपालन हो।
- (xxiii) लाइसेंस धारक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।
- (xxiv) लाइसेंस धारक कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार महिला कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्धारित तंत्र सुनिश्चित करेगा और विशाखा दिशानिर्देशों के तहत महिला कर्मचारियों की शिकायत को संबोधित करने के लिए समिति के गठन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा।
- (xxv) लाइसेंस धारक एनसीआर क्षेत्र में अपनी सभी बसों के लिए पर्याप्त रात भर पार्किंग स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, किसी भी परिस्थिति में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर सड़कों, गलियों आदि सहित किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पार्किंग की अनुमित नहीं दी जाएगी।

बस क्यू शेल्टरः

(क) इस योजना के तहत लगी बसों का अधिसूचित बस क्यू शैल्टरों से यात्रियों को लेने और छोड़ने की अनुमित है, जिसके लिए समय—समय पर अधिसूचित ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरशन लिमिटेड का अलग से अपेक्षित शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

बशर्ते कि, बसों को अधिसूचित बस स्टॉप के अलावा किसी अन्य गंतव्य से यात्रियों को लेने और छोड़ने की भी अनुमित है, जिसके लिए योजना के तहत सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है और इस मामले में कोई भी घटना उत्पन्न होने पर, सक्षम प्राधिकारी का आदेश परिवहन विभाग द्वारा प्रदान की गई एनओसी के बावजूद अंतिम होगा।

9. ब्रांडिंग और विज्ञापन

(क) लाइसेंस धारक को ब्रांडिंग का अधिकार होगा और बस के अंदर और बाहर विज्ञापन स्थान बेचने का अधिकार इस शर्त के अधीन होगा किः

- (i) बस के बाहरी हिस्से के आगे और पीछे का उपयोग ब्रांडिंग और विज्ञापन के लिए नहीं किया जाएगा, बिल्क दिल्ली प्रीमियम बस सेवा की आसान पहचान के उद्देश्य से, उक्त स्थान परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित लोगो / पैटर्न के प्रदर्शन के लिए आरक्षित है।
- (ii) बस के बाहरी बाएं और दाएं हिस्से को सिविक एजेंसियों द्वार अधिसूचित प्रासंगिक नियमों के तहत विज्ञापन और ब्रांडिंग के लिए अनुमित दी जाएगी, जिसमें जीएसटी शुल्क का भुगतान करना भी शामिल है।
- (iii) (क) और (ख) के संबंध में विज्ञापन के आकार और प्रकृति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
- (ख) किसी भी परिस्थिति में लाइसेंस धारक द्वारा इसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत निर्धारित सरकारी उपक्रम के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा।

10. शर्तो / दायित्वों के उल्लंघन के लिए जुर्मानाः

- (क) दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजन, 2023 में निर्धारित किसी भी दायित्व या शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में, लाइसेंस धारक मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 193 के प्रावधानों के अनुसार दंड के लिए उत्तरदायी होगा।
- (ख) यह योजना अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अनुपालक और दंड के अतिरिक्त लागू / प्रवर्तनीय होगी और इसे अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के मौजूदा प्रावधानों के साथ पढ़ा जाएगा।
- (ग) लाइसेंस प्रदान करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर योजना के तहत आवश्यक बसों की न्यूनतम संख्या / रखरखाव में विफलता के मामले में, जमा की गई सुरक्षा को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद जब्त कर लिया जाएगा।
- (घ) लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से नब्बे दिन पहले होगी। उदाहरण के लिए, यदि आवेदन नियम तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो निम्नलिखित विलंब शुल्क देय होगाः

लाइसेंस की समाप्ति की तिथि तक	लाइसेंस की समाप्ति की तिथि के उपरांत
रू 1000 / — (एक हज़ार रूपए)	रू 1000 / — (एक हज़ार रूपए + रू 100 / — प्रतिदिन)

(ड.) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय VIII और अध्याय XIII और दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 और मोटर—वाहन—ड्राइविंग—विनियमन अधिनियम 2017 के अध्याय—VIII के प्रावधान इस योजना के तहत संचालित वाहनों पर लागू होंगे और उनके खिलाफ निर्धारित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

11. जुर्माने की सूचीः

अधिरोपण और नोटिस की तारीख से पंद्रह दिनों की अविध के भीतर जुर्माने का भुगतान करने में विफलता के मामले में, सक्षम प्राधिकारी लाइसेंस धारक को सुरवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर सकता है।

12. लाइसेंस का निलंबन और रद्दः

- (क) सक्षम प्राधिकारी लाइसेंस धारक को सुनवाई का अवसर देने के बाद 6 महीने से अधिक की निर्दिष्ट अविध के लिए लाइसेंस को रदद या निलंबित कर सका है, यदि उसकी राय है कि:—
- लाइसेंस धारक से जुड़ी कोई भी बस, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कानूनी अनुपालन के अपराध करता है;
- (ii) किसी भी बस को लेन ड्राइविंग की शर्तो, ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है।

- (iii) लाइसेंस धारक मोटर वाहन अधिनियम 1988 और या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों या इस योजना के प्रावधान के साथ; या खंड—7 में उल्लिखित दायित्व के अनुपालन में बस का रखरखाव करने में विफल रहा है।
- (iv) किसी भी बस चालक को विशेष रूप से महिलाओं / विकलांगों / विरिष्ठ नागरिकों या किसी अन्य यात्री के साथ किसी भी दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है।
- (v) नशे या नशे की अवस्था में पाए जाने पर बस चालक का नशा सम्बन्धी चालान काटा जाता है। बशर्ते कि पर उप्रोक्तालिखित शर्तों के बावजूद, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय XIII के प्रावधान दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 में परिभाषित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई शुरू करने के लिए लागू रहते हैं।
- (ख) जहां परिमट रद्द या निलंबित किया जा सकता है और यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो सक्षम प्राधिकारी परिमट को रद्द या निलंबित करने के बजाए, लाइसेंस धारक से सुरक्षा जमा के आधे के बराबर राशि वसूल सकता है जो खंड 5 (बी) में उल्लिखित सुरक्षा राशि जमा करके लाइसेंस धारक द्वारा लगाई गई बसों की संख्या के संबंध में भिन्न हो सकती है।

13. अपील :

- 1. सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति आदेश प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर अपीलकर्ता प्राधिकारी के सक्षम अपील कर सकता है।
- 2. अपीलकर्ता प्राधिकारी के आदेश पर आपित्तियों के आधार को निर्धारित करते हुए एक ज्ञापन के रूप में अपील को डुप्लिकेट में प्राथमिकता दी जाएगी और इसके साथ पंजीकरण प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्क के बराबर दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 में निर्दिष्ट 500 रूपये का शुल्क भी देय होगा।
- 3. अपीलकर्ता प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद और ऐसी जांच के बाद, जो वह उचित समझे, एक उचित आदेश पारित कर सकता है।

14. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की शक्तियां और जिम्मेदारियांः

- 1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का एग्रीगेटर से ऐसी सूचना और दस्तावेज मांगने का अधिकार होगा, जो पूर्व लिखित सूचना के अनुसरण में एग्रीगेटर द्वारा योजना के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समझे जाते है।
- 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना के फॉर्म 1 में निर्दिष्ट एग्रीगेटर के परिसर की तलाशी और जांच करने की शक्ति होगी।
- 3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित वाहन और सारथी पोर्टल तक पहुच प्रदान करेगी ताकि एग्रीगेटर ऐव के साथ एकीकृत वाहनों और ड्राइवरों के विवरण को अपडेट करने के सक्षम हो सके।
- 4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार खंड 14 (1) के तहत एग्रीगेटर से प्राप्त दस्तावेजों और सूचनाओं की पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करेगी और ऐसी कोई अन्य जानकारी जो वह मांग सकती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आशीष कुन्द्रा, प्रधान सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)

फॉर्म — 1 (खंड 4 देखें)

दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर्स (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 के तहत एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

मैं अधोहस्ताक्षरी, दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 के तहत दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रीमियम बसों के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में संचालन के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन करता हैं

हूं:		
1	संस्था / पंजीकृत कंपनी / साझेदारी / एलएलपी / कंसोर्टियम का	
	नाम	
2	आवेदक की प्रकृति	
	• पंजीकृत् कंपनी	
	• साझेदारी	
	• एलएलपी	
	• स्हकारी समिति	
	• कंसोर्टियम	
	• अन्य	
3.	निगमन की तिथि :	
4.	मुख्य कार्यालय का पता	
5.	शाखाओं की संख्या और पते, यदि कोई हो	
6.	प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता का विवरण	
	क. पूरा नाम :	
	पुत्र / पुत्री / पत्नी	
	ख. पताः	
	ग. दूरभाश सं.	
7.	प्रतिदिन यात्री यात्राओं की औसत संख्या	
	(पिछले वित्तीय वर्ष में) :	
8.	औसत वार्षिक कारोबार	
	(पिछले 3 वित्तीय वर्षों में) :	
9.	संचालित की जाने वाली बसों की संख्या (दस्तावेज सहित) और	
	इस का आकार (मानक / मिडी / मिनी)	
10.	बुकिंग, रूटिंग और टिकटिंग के लिए डिजिटल इंटरफेस का	
	प्रमाण।	
11.	लइसेंस का विवरण, यदि पहले से धारित है:	
12.	विवरण शुल्क भुगतान	
13.	आयुक्त परिवहन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पक्ष	
	में बैंक गारंटी माध्यम से सुरक्षा जमा का विवरण।	

घोषणा :

- मैं प्रीमियम बसों को एकत्र करने के लिए व्यवसाय करने की शर्तों से परिचित हूं।
- मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सही और सत्य हैं।
- वाहनों और ड्राइवरों की सूची उनके संबंधित लाइसेंस और बैज की एक सच्ची प्रति के साथ सलंग्न है।
- लाइसेंस प्रदान <u>करने / नवीनीकरण</u> के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

जगह	 	
ک نند		
ादनाक	 	

आवेदक के हस्ताक्षर / अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता (कंपनी की मुहर के साथ, जैसा लागू हो)

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए चेकलिस्ट :

- 1. निगमन / पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिः
- 2. लइसेंस शुल्क और सुरक्षा जमा के भुगतान का प्रमाण
- 3. अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क के भुगतान प्रमाण
- 4. वाहनों की सूची उनके लाइसेंस की सत्य प्रति के साथ
- 5. ड्राइवरों की सूची उन के लाईसेंस और बैज की एक सच्ची प्रति के साथ
- 6. सभी वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध होने का प्रमाण
- 7. कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परिमट की कॉपी (इलैक्ट्रिक बसों के अलावा)

फॉर्म 2 दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 के तहत प्रीमियम बसों के एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस

ऑपरेटर / लाइसेंस का नाम :		
आवेदक का नाम :		
<u> गु</u> त्र / पत्नी / पुत्री :		
यवसाय के स्थान का पूरा पता :		
नुख्यकार्यालय		
	शाखा कार्यालय	
	प्रीमियम बसों के एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस	प्राप्त हैं
यह लाइसेंस	को जारी किया जाता है और वैध है।	. तक
राज्य परिवहन प्राधिकरण राष्ट्रीय राजधारी क्षेत्र दिल्ली		
	नवीनीकरण	
<u>.</u>	से तकनीवीकृत	

राज्य परिवहन प्राधिकरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, परिवहन विभाग

TRANSPORT DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 20th November, 2023

F. No. F(12)/Policy/AS/STA/2016/105228.—Whereas, the draft of "The Delhi Motor Vehicles Licensing of Aggregator (Premium Buses) Scheme 2023, was published as required under sub-section 3 of section 67 of Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988) vide notification F.NO.F(12)/Policy/AS/STA/2016/49928 dated 26.05.2023 of Transport Department, Government of NCT of Delhi in Delhi Gazette (Extra Ordinary) No. 165 dated 29.05.2023 inviting objections and suggestions from all persons and stakeholders likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date of its publication in Delhi Gazette.

And whereas, copies of said notification were made available to public on the 29th May 2023,

And whereas, the objections and suggestions received in respect of the draft scheme within the period specified have been taken into consideration.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (3) of Section 67 read with Section 93 and the subsequent Guidelines Notified vide Notification No. S.O.4251 (E) dated 26th Nov, 2020 of Ministry of Road, Transport and Highways, Government of India further read with section 65, 96 and sub section 41 of Section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988, the Lieutenant Governor of National Capital territory of Delhi hereby publishes the scheme namely:-

1. Short title, application and commencement:

- (a) It shall be called the "The **Delhi Motor Vehicles Licensing of Aggregator (Premium Buses)** Scheme, 2023".
- (b) It shall, apply to all premium buses operated under a valid Aggregator license granted by the Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi, to operate within the National Capital Territory of Delhi.
- (c) It shall come into force with effect from the date of its publication in the official gazette.

2. Definitions:

- (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires:
 - (a) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988):
 - (b) "AGGREGATOR" means a digital intermediary or a fleet owner or a market place for a passenger to connect with a driver for the purpose of transportation. It can be a person/entity either of the fleet owner or an operator having agreement with Contract Carriage Permit holder for use of the vehicle as a whole and not for a part thereof.
 - (c) "Appellate Authority" means Chairman, State Transport Authority, Department of Transport, Government of National Capital Territory of Delhi, for the purpose of entertaining appeal in respect of grant and renewal of license under the said scheme;
 - (d) "App" means an electronic interface operated by the License holder or any third party on behalf of the License holder which may be accessed either through a computer resource or a communication device;
 - (e) "Competent Authority" means the Secretary, State Transport Authority, Department of Transport, Government of National Capital Territory of Delhi which who shall grant/renew/suspend/cancel the license, under the provisions of said scheme;
 - (f) "License Holder" means a person or entity that holds a license for operation of buses under this scheme as issued by the Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi;
 - (g) "Passenger Manifest" means a digital record of persons who are likely to travel in a premium bus during the course of a trip and on whose behalf the license holder enters into a contract, express or implied, with the owner of bus, or any person authorized by him for hiring a vehicle as a whole in accordance with this scheme;
 - (h) "**Permit**" means a valid contract carriage permit issued by the Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi under Section-74 of Motor Vehicle Act-1988;

(i) "**Premium Bus**" means a luxury public service vehicle having seating capacity of not less than 09 passengers with the following features:

Air Conditioner, Wi-Fi, GPS, CCTV, Panic Button, 2×2 seats, reclining seats (optional) or any other specification / feature as incorporated in the scheme from time to time.

Any other specifications / conditions as deemed fit under the constrained circumstances will be incorporated from time to time by the Transport Department;

- (j) "Stand Fee" means the fee, as prescribed by Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi for using bus queue shelters to pick up and drop passengers;
- 2) Words and expressions used in this scheme, but not defined herein, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Eligibility for grant of aggregator license:

- (1) License holder shall operate and maintain a fleet of minimum 25 premium buses, to be made operational within 90 days from the day of grant of license.
- (2) The requirement for minimum and maximum number of premium buses may be modified by the Competent Authority from time to time, if need arises.
- (3) The license shall not be granted to any firm or entity either insolvent, or a blacklisted by any State Transport Authority or Regional Transport Authority of any State or Union Territory of India.
- (4) The license holder shall have the corporate or branch office within National Capital Region (NCR) managed by duly authorized representative under intimation to Competent Authority.
- (5) The license holder at the time of applying for the license under this scheme shall have the mandatory experience for at least 03 years for operating/managing/ the vehicles in public transport/shared transportation along with following mandatory requirements:-
 - (a) a fleet of minimum 100 passenger buses during the last three financial years (each year); or
 - (b) a fleet of minimum 1000 passenger cars during the last three financial years (each year); or
 - (c) In case of a mixed fleet of passenger cars and buses, the total minimum fleet must be equal to at least 100 buses. For this purpose, 10 cars would be deemed to be equal to 1 bus.
- (6) The license holder shall comply with all the applicable provisions prescribed under the Act and Rules framed there under either as Central Motor Vehicle Rules-1989 or The Delhi Motor Vehicle Rules -1993 or of the Information Technology Act, 2000 by submitting an undertaking on nonjudicial stamp paper along with the request for issuance of license under this scheme.
- (7) The License holder shall ensure that the buses possess a Contract Carriage permit in order to regulate the operation and to maintain the discipline on road and in the provisions of Chapter-VIII & XIII of Motor Vehicle Act-1988 read with Chapter-VIII of Delhi Motor Vehicle Rules-1993, shall be applicable on them.
- (8) The engagement of the buses shall be at the liberty of the license holder confined to decide the size of the buses in its fleet (Mini / Midi / Standard Size) as per Bus Code of Automotive Industry Standards (AIS) 052.

4. Procedure for grant/renewal of the license:

- (1) Any person may make an application for grant of license in the Form 1 appended to this scheme, accompanied by proof of payment with prescribed fee and Interest free security deposit as mentioned in Clause- 5 of this scheme, along with following documents:-
 - (a) List of all vehicles that are proposed to be engaged along with a true copy of valid permit.
 - (b) Proof of adequate parking spaces available for all the vehicles.
 - (c) The lease agreement must contain specific provision of transfer of effective control and possession of such vehicles in favor of the license holder for a term, at least one year, at a time.
 - (d) Copy of Registration Certificate and Insurance of each bus.
 - (e) Fitness of the vehicle indicating therein that the CCTV and other mandatory requirements are properly installed in the bus.
 - (f) Undertaking in non-judicial stamp paper with regard to regulate the operation and to

maintain the discipline on road and to bring within the ambit of provisions of Chapter-VIII& XIII of Motor Vehicle Act 1988 read with Chapter-VIII of The Delhi Motor Vehicle Rules 1993, the possession of the Contract Carriage permit is required.

- (2) Upon receipt of such application, the acknowledgement shall be issued online.
- (3) The Competent Authority after satisfying himself that all the necessary requirements and documents found in order, shall either grant the license within a period of thirty days from the date of receipt of application or in case of any discrepancy the information in this regard shall be conveyed to the applicant for fulfillment.
- (4) No application for grant/renewal of license shall be rejected without giving a reasonable opportunity of being heard to the applicant.
- (5) The licence shall be valid for a period of five years.
- (6) The renewal of the license is not automatic and not available as a matter of right of the license holder and would be subject to satisfactory compliances with the Scheme and taking into account the safety records, consumer satisfaction, and overall quality of service of the license holder, along with any other parameter(s) that may be considered relevant by the Competent Authority.
- (7) The license holder shall submit an application for renewal of the licence in Form 1 appended with the fee as mentioned in the Clause-5 and challan clearance certificate from Enforcement Branch and Delhi Traffic Police.
- (8) The application for renewal of license shall be made not less than 90 days before the date of its expiry. However, Competent Authority may entertain and application for the renewal of the license after the last date, if it is satisfied that the applicant was prevented by good and sufficient cause from making an application within the time specified, subject to payment of late fees as prescribed in clause 10 (4) of the Scheme.
- (9) The license shall be renewed for a period of five years from the date of expiry of the license.

5. Fee & Interest free Security Deposit:

(1) The applications accompanied with the Fee and Interest free Security Deposit as mentioned below shall be considered for granting the license:

(a) Fee for license:

Sl. No.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	Grant of license	5,00,000
2.	Renewal of license	2,500
3.	Issue of duplicate license	2,500
4.	For noting change of Address of the licensee	2,500

(b) Interest free Security Deposit for license:

S. No.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	Upto 100 buses	1,00,000
2.	Upto 1000 buses	2,50,000
3.	More than 1000 buses	5,00,000

- (2) No interest will be given at the time of refunding of security deposit.
- (3) No license fee shall be levied on electric buses to promote the clean transport options.
- (4) An additional stand fee for use of bus queue shelters shall be paid as notified from time to time by the Delhi Transport Infrastructure Development Corporation Limited.

6. Fare and Ticketing:

- (1) The license holder shall be at liberty to prescribe a suitable fare structure for any route/ destination. The fare shall be displayed on the mobile and web-based application for the information of the general public.
- (2) Dynamic pricing shall be permissible provided that the base fare shall not be less than the peak fare of Delhi Transport Corporation (DTC) Air Conditioned buses.
- (3) Only pre-booked digital ticketing will be permissible and no physical tickets shall be issued.
- (4) The charges from the passengers shall be collected only through electronic/digital payment mode.

7. Obligations of license holder:

- (1) The license holder shall be responsible for complying with the following conditions for and in respect of every vehicle deployed under this scheme, namely:
 - (a) The license holder shall, prior to commencement of each trip of a vehicle, convey on its mobile and web-based application, the route of such trip, the particulars of the vehicle, premium bus driver and/or other staff and a passenger manifest for that trip. Further booking of passengers from any stop in the trip may be executed and included in the passenger manifest provided such booking shall be executed at least 02 minutes before the boarding time. Digital passenger manifest shall be maintained. License holder shall not allow any person in such a vehicle on any trip, unless their name is included in the passenger manifest.
- (b) The license holder may, for and on behalf of the passengers, determine potential routes on which the vehicles operated by it shall be intimated to the Transport Department.

Provided that the self-determined potential routes prevails so long as self determined routes are not objected by the Traffic Police being the agency authorized to control the Traffic or any other Local Bodies controlling and maintaining the route, if objected, the self-determined routes shall stand terminated.

- (c) The details of such routes shall be notified on the mobile or web-based application for information to the general public.
- (d) No modification / termination of any route on which the bus is operated shall not be changed by license holder in any case without intimation to the Competent Authority after giving a notice of seven days in advance. The effect of the change of route shall also be informed to the general public by the license holder, through mobile or web-based application.
- (e) No such route shall be terminated by the license holder, if an advance booking/confirmation is made for that route provided that in case of any exigency to terminate the service, the booking amount if obtained in advance, shall be returned on the same day to the commuter.
- (f) The license holder shall incorporate a feature on its mobile and web-based application for the purpose of facilitating to lodge complaint if any. Further the license holder shall also affix an electronic display board inside the bus wherein the information with regard to lodging complaint on the mechanism derived by the license holder. The license holder shall submit a summary of complaint along with clarification/explanation to the Competent Authority on monthly basis;
- (g) The license holder shall take measures to ensure the safety and security of women passengers and shall provide a rapid response mechanism, including a panic button on its mobile and web-based application, for prompt redressal of complaints by women passengers;
- (h) The license holder shall not cancel any trip after accepting the hire charges from a passenger, save and except upon occurrence of a force majeure, whereupon it shall make best endeavors to provide an alternative vehicle or to refund the fare paid by passengers forthwith;
- (i) The license holder upon failure to provide an alternative vehicle in case of a break-down or for any other reason, save and except force majeure, he shall make a refund forthwith which shall be equal to the amount received from each of the affected passengers and an amount equal to one half thereof by way of pre-determined liquidated damages, and each failure of the license holder to make such payment for and in respect of each passenger shall make him liable to payment of a fine under Clause 11thereof;
- (j) The details containing the photograph of the driver, license number, Passenger Service Vehicle Badge number and registration mark of the vehicle, along with Transport Helpline number and Police Helpline number shall be displayed prominently inside the bus such that it is directly visible to the passengers.

- (k) The license holder shall ensure that only premium air-conditioned buses having compliance of with Automotive Industry Standards (AIS) 052 (Bus Code), Automotive Industry Standards (AIS) 140 (vehicle tracking system, camera surveillance system, and emergency request button) and Automotive Industry Standards 153 standards (Fire Detection and Alarm System (FDAS) with other specifications as prescribed by the Transport department shall be inducted into the fleet. The aggregator shall be at liberty to decide the size of the buses in its fleet (Mini / Midi / Standard Size) as per Bus Code Automotive Industry Standards (AIS) 052;
- (l) The license holder shall ensure that there shall be at least two CCTV cameras must be installed in each vehicle for recording the movements of passengers during each trip and recording of which shall be stored by the license holder for at least fifteen days from the date of each trip and produce the same on demand by any law enforcing agency;
- (m) The license holder shall be responsible for providing application programming interface (API) of the proposed service with the current digital solution ONE DELHI app deployed by Transport Department, for discovering buses/routes, booking rides and making digital payments.
- (n) The license holder shall ensure that the vehicle must be covered by a policy of insurance which shall provide accidental coverage of not less Rs. 10 lakhs for the occupants of the vehicle (including driver and conductor) to facilitate the provisions as stipulate in Chapter-XI of Motor Vehicle Act-1988;
- (o) The license holder shall ensure that each and every vehicle deployed under the scheme shall possess, at all times, a valid certificate of fitness under Section-56 of Motor Vehicle Act-1988 read with Rule 62 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989;
- (p) The license holder shall ensure that the fire extinguisher having valid validity shall be installed in each bus and carry first aid kit as stipulate under the provisions Central Motor Vehicles Rules, 1989;
- (q) The license holder shall ensure that each bus deployed under the scheme to operate shall possess and carry a valid pollution certificate under rule 35 of NCT of The Delhi Motor Vehicle Rules-1993;
- (r) The licensee shall ensure that number of passengers shall not exceed over and above as mentioned in registration certificate duly granted by the registering authority;
- (s) The license holder shall comply with all applicable conditions in respect of the use of a passenger vehicle as in the case of Contract Carriage buses and any violation thereof shall be treated as violation for the purpose of taking appropriate action by Enforcement Agencies under the Chapter-VIII: Control of Traffic of Motor Vehicle Act-1988 and Rules framed there under and the various provisions as stipulate in The Delhi Motor Vehicle Rules-1993;
- (t) The license holder as the case may be, shall ensure that the driver of the vehicle must possess the category of the driving license required to operate a bus along with Public Service Vehicle Badge.
- (u) The license holder as the case may be shall ensure that the driver so engaged shall comply all the necessary provision referred to in Motor Vehicle Act-1988and Rules framed there under and The Delhi Motor Vehicle Rules-1993. Further any act of criminal offence if found against the driver of the vehicle, the action against the license holder shall be taken under the provisions of Section-53, 54 & 55 in view of the gravity of the commission of offence in addition to process of revocation of license of the driver under Section-19 of Motor Vehicle Act-1988.
- (v) The license holder shall ensure that the acquisition of CNG buses shall not be more than three years old from the date of notification of the scheme. Subsequently induction of any new bus, the prevailing emission norms, BS-VI must be compliant, either Air-Conditioned CNG or electric buses. After January 1, 2025 the induction of electric buses only shall be allowed, no CNG operated bus even if having BS-VI compliance shall be allowed to induct under this scheme.
- (w) The license holder shall comply with the provisions of the Information Technology Act, 2000 (Central Act 21 of 2000) and the rules and regulations made there under.
- (x) The license holder shall ensure stipulated mechanism for protecting the rights of women employees as per the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and also ensure to compliance the order of the Hon'ble Supreme Court with regard to constitution of committee to address the women employees complaint under VISHAKHA guidelines.

(y) The license holder shall ensure availability of adequate overnight parking space for all its buses in NCR region, under no circumstances, parking on any public space including roads, streets, etc., within National Capital Territory of Delhi would be allowed.

8. Bus Queue Shelters:

(1) The buses engaged under the scheme are allowed to pick and drop passengers from the notified bus queue shelters for which the requisite fee shall be paid separately to Delhi Transport Infrastructure Development Corporation Limited as notified from time to time.

Provided that, the buses are also allowed to pick and drop the passengers from a destination other than the notified bus stop for which the necessary prior approval from competent authority under the scheme is mandatory and in case of any eventuality if arise in this matter, the order of the competent authority will be final irrespective of NOC provided by the Transport Department.

9. Branding and advertising:

- (1) The license holder shall have the right of branding and to sell advertising space in and outside of the bus subject to condition that:
 - (a) The front and back of outer side of bus shall not be used for branding and advertisement, rather for the purpose of easy identification of the Delhi Premium Bus Service, the said space is reserved for display of logo/ pattern as prescribed by Transport Department.
 - (b) The outer left and right side of the bus shall be allowed for advertisement and branding under the relevant rules as notified by the Civic agencies in addition to GST charges whatever is applicable.
 - (c) Notwithstanding, with respect to (a) and (b) above the prior approval from the competent authority shall be obtained with respect to size and nature of the advertisement.
- (2) Under no circumstances it shall be proclaimed by license holder as being Govt. undertaking as prescribed under the provisions of the Motor Vehicle Act, 1988.

10. Penalty for Violation of conditions/obligations:

- (1) In the event of any violation of any obligations or conditions prescribed in The Delhi Motor Vehicles Licensing of Aggregator (Premium Buses) Scheme, 2023, the license holder shall be liable for penalty in accordance with the provisions of Section 193 of the Motor Vehicle Act 1988.
- (2) This scheme shall be applicable/enforceable in addition to the compliances and penalties provided under the Act and shall be read in conjunction with the existing provisions of the Act& Rules made there under.
- (3) In case of failure to operate/maintain, the minimum number of buses required under the scheme within 90 days from the date of grant of license, the entire security deposited shall be forfeited after giving reasonable opportunity of being heard.
- (4) The last date for submitting application for renewal of license shall be Ninety days prior to the date of expiry of the license. In instance if the application is not submitted by the due date, the following late fee shall be payable:

Upto the expiry of the license	After expiry of the license
Rs. 1000/- (One Thousand only)	Rs. One Thousand plus Rs. 100/- per day

(5) The provisions of Chapter VIII & Chapter XIII of Motor Vehicle Act 1988 and Chapter-VIII of The Delhi Motor Vehicles Rules 1993 and Motor-Vehicle-Driving-Regulation Act 2017 shall be applicable to the vehicles operated, under this scheme and action as prescribed shall be initiated against them.

11. Recovery of Penalty:

In case of failure of payment of fine within a period of fifteen days from the date of imposition and notice, the Competent Authority may, suspend or cancel the licence after providing a reasonable opportunity of being heard to the License holder.

12. Suspension and cancellation of license:

(1) The competent authority may cancel or suspend the license for a specified period not exceeding 6 months, after giving the license holder an opportunity of being heard, if it is of the opinion that-

- (a) Any bus associated with the license holder, is in default of legal compliances under the Motor Vehicle Act 1988;
- (b) Any bus is found to be in violation of lane driving conditions, over speeding and rash driving.
- (c) The license holder has failed to maintain the bus in compliance with the provisions of the Motor Vehicles Act 1988 and or Rules framed there under; or with the provision of this scheme; or the obligations as enumerated in Clause-7.
- (d) Any bus driver is found to be guilty of any misbehavior or misconduct with women/handicapped/sr. citizens specifically or any other commuter.
- (e) Any bus driver is found to be challened under the influence of any intoxication.

Provided, further that notwithstanding, the conditions mentioned herein above, the provisions of chapter XIII of Motor Vehicle Act 1988 remain applicable for initiating action by law enforcing agencies as defined in Delhi Motor Vehicle Rules, 1993.

(2) Where a permit is liable to be cancelled or suspended and if circumstances so arise, the competent authority may, instead of cancelling or suspending the permit, recover from the license holder an amount equivalent to one half of the security deposit that may be varied with respect to the number of buses engaged by the license holder by depositing the security money as mentioned in clause 5(b).

13. Appeal:

- (1) Any person aggrieved by any order of the Competent Authority may within thirty days of the receipt of the order, make an appeal to the Appellant Authority.
- (2) An appeal shall be preferred in duplicate in the form of a memorandum setting forth the grounds of objections to the order of the Appellate Authority and shall be accompanied by fees of Rs 500/- as specified in The Delhi Motor Vehicle Rules 1993 at par with the fee to be paid for appeal against the order of Registering Authority.
- (3) The Appellant Authority may, after giving a reasonable opportunity of hearing to the parties and after such enquiry as it may deem fit pass an appropriate order.

14. Powers & Responsibilities of Government of National Capital Territory of Delhi.

- (1) The Government of National Capital Territory of Delhi shall be empowered to call for such information and documents from the Aggregator, as deemed fit to ensure compliance by the Aggregator with the Scheme pursuant to prior written notice.
- (2) The Government of National Capital Territory of Delhi shall have the power to conduct search and investigation of the Aggregator's premises, as specified in Form 1 of the Scheme, for the effective implementation of the Scheme;
- (3) The Government of National Capital Territory of Delhi shall provide access to the VAHAN and SARATHI portal operated by the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India to enable the Aggregator to update the details of vehicles and Drivers integrated with the App.
- (4) The Government of National Capital Territory of Delhi shall ensure complete confidentiality and secrecy of the documents and information obtained from the Aggregator under Clause 14(1) and any such other information which it may call for.

By Order and in the Name of Lt. Governor of Government of National Capital Territory of Delhi,

ASHISH KUNDRA, Pr. Secy.-Cum-Commissioner (Transport)

FORM 1

[See Clause 4]

Application for grant or renewal of licence for Aggregator under The Delhi Motor Vehicles Licensing of Aggregators (Premium Buses) Scheme, 2023

To

Secretary,

The State Transport Authority Govt. of NCT of Delhi

I, the undersigned, hereby apply for granting a licence for operation as an Aggregator for premium buses in NCT of Delhi under The Delhi Motor Vehicles Licensing of Aggregator (Premium Buses) Scheme, 2023:

	Buses) Scheme, 2023:	
1.	Name of Entity/ Registered Company/ Partnership/ LLP/ Consortium	
2.	Nature of Applicant	
	Registered Company	
	Partnership	
	• LLP	
	Cooperative Society	
	Consortium	
	• Other	
3.	Date of Incorporation:	
4.	Address of the main office	
5.	Number of branches and addresses, if any	
6.	Particulars of the Authorized Signatory	
	(a) Full Name:	
	Son/Daughter/Wife of:	
	(b) Address:	
	(c) Telephone No.	
7.	Average number of passenger trips per day	
/.	(in the last Financial Year):	
8.	Average Annual Turnover	
0.	(in the Last 3 Financial Years):	
9.	Number of buses (along with documentation) to be operated and its	
9.	size (Standard/Midi/ Mini)	
10.	Proof of a digital interface for booking, routing and ticketing.	
11.	Particulars of Licence, if already held:	
12.	Details Fee Paid	
13.	Details of Security Deposit by way of Bank Guarantee in favour of	
	Commissioner Transport, Govt. of NCT Of Delhi.	

(Alongwith company seal, as applicable)

Declaration:

- I am conversant with the conditions for carrying the business for aggregating premium buses.
- I hereby declare that to the best of my knowledge and belief, the particulars given above are correct and true.
- List of vehicles and drivers along with a true copy of their respective licenses and badges are attached herewith.
- The prescribed license fee for grant/ renewal of licence has been paid.

Signature of Applicant
Authorized Signatory

Checklist for Documents to be submitted:

- 1. Copy of certificate of Incorporation/ Registration:
- 2. Proof of Payment of licence fee and security deposit
- 3. Proof of Payment of additional licence fee
- 4. List of vehicles along with a true copy of their licence
- 5. List of Drivers along with a true copy of their licence and badges
- 6. Proof of adequate parking spaces available for all the vehicles
- 7. Copy of Contract Carriage Permit (other than Electric Buses)

FORM 2
Licence for Aggregator of premium buses under The Delhi Motor Vehicles Licensing of Aggregator (Premium Buses) Scheme, 2023
Name of the operator/ licence:
Name of the Applicant:
Son/ wife/ daughter of:
Full address of the place of business:
Main Office Branch Office
is licensed to function as an aggregator of premium buses.
This licence is issued on
State Transport Authority
NCT of Delhi
Renewal

State Transport Authority NCT of Delhi Secretary to Government, NCT of Delhi, Transport Department

Renewed from to